

आदेश

नई दिल्ली, 29 मई, 2009

सा.का.नि. 382(अ).—केन्द्र सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955(1955 का 10), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा विलायक, रेफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल्स में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश को विलायक, रेफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल्स में उपयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2009 कहा जाए।
(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होगा।
2. विलायक, रेफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल्स में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 में खंड 3 के उप-खंड (4) के बाद निम्नलिखित परन्तुक अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु उपखंड 1, 3, और 4 के उपबंध निम्नलिखित कंपनियों पर लागू नहीं होंगे, अर्थात्:-

- (i) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)
- (ii) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)
- (iii) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)
- (iv) आईबीपी कंपनी लिमिटेड
- (v) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी)
- (vi) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल)
- (vii) आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)
- (viii) कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड (केआरएल)
- (ix) चैन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)
- (x) बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड (बीआरपीएल)
- (xi) नुमल्लीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)
- (xii) लुब्रीज़ल इंडिया लिमिटेड (एलआईएल)
- (xiii) बीको लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
- (xiv) इंडियन एडिटिव्स लिमिटेड (सीपीसीएल की सहायक कंपनी)
- (xv) इंडियन आयल ब्लैंडिंग लिमिटेड (आईओसी की सहायक कंपनी)
- (xvi) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओएनजीसी के पूर्ण स्वामित्व में सहायक कंपनी)
- (xvii) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
- (xviii) मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (ओएनजीसी की सहायक कंपनी)
- (xix) एस्सार आयल लिमिटेड (ईओएल)

[फा. सं. पी-11013/13/2007-वितरण]

अपूर्व चन्द्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : प्रधान आदेश, भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उप-खंड (i) में 5 जून, 2000 को प्रकाशित सा.का.नि. 519(अ) द्वारा प्रख्यापित किया गया था और सा.का.नि. 576(अ) दिनांक 30 जून, 2000, 578(अ) दिनांक 30 जून, 2000, सा.का.नि. 856(अ) दिनांक 21 नवंबर, 2001, सा.का.नि. 470(अ) दिनांक 2 जुलाई, 2002, सा.का.नि. 404(अ) दिनांक 4 जुलाई, 2006, सा.का.नि. 743(अ) दिनांक 7 दिसंबर, 2006 और सा.का.नि. 689(अ) दिनांक 1 नवंबर, 2007 के द्वारा संशोधित किया गया।

ORDER

New Delhi, the 29th May, 2009

G.S.R. 382(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Order, 2000, namely:—

1. (1) This Order may be called the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Amendment Order, 2009.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Order, 2000 after sub-clause (4) of clause 3, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the provisions of sub-clauses 1, 3, and 4 shall not be applicable to the following companies, namely:-

- (i) Indian Oil Corporation Limited (IOCL)
- (ii) Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)
- (iii) Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)
- (iv) IBP Co. Limited
- (v) Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC)
- (vi) Gas Authority of India Limited (GAIL)
- (vii) Oil India Limited (OIL)
- (viii) Kochi Refineries Limited (KRL)
- (ix) Chennai Petroleum Corporation Limited (CPCL)
- (x) Bongaigaon Refinery and Petro-chemicals Limited (BRPL)
- (xi) Numaligarh Refinery Limited (NRL)
- (xii) Lubrizol India Limited (LIL)
- (xiii) Biecco Lawrie and Co. Limited
- (xiv) Indian Additives Limited (Subsidiary of CPCL)
- (xv) Indian Oil Blending Limited (Subsidiary of IOC)
- (xvi) ONGC Videsh Limited (a wholly owned subsidiary of ONGC)
- (xvii) Balmer Lawrie and Co. Limited
- (xviii) Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (subsidiary of ONGC)
- (xix) Essar Oil Limited (EOL)

[F. No. P-11013/13/2007-Dist.]

APURVA CHANDRA, Jt. Secy.

Note : The Principal Order was promulgated vide G.S.R.519(E), dated 5th June, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 3 sub-section(i) and amended vide GSR 576(E), dated 30th June, 2000, 578(E), dated 30th June, 2000, GSR.856(E), dated 21st November, 2001, GSR.470(E), dated 2nd July, 2002, GSR No.404(E), dated 4th July, 2006, GSR.743(E), dated 7th December, 2006 and GSR.689(E), dated 1st November, 2007.